10— संतोष कुमार अरोडा पुत्र ढल्ला राम अरोडा जाति अरोडा खत्री निवासी 6, विकास पथ, अलवर तहसील व जिला अलवर।

11— भूरू पुत्र हरबक्स जाति चमार निवासी ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर।

12— संतोष बाई धर्म पत्नी स्व. मान सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम लिवारी, तहसील व जिला अलवर।

13— मूल चन्द पुत्र परभाती जाति माली निवासी ग्राम लिवारी, तहसील व जिला अलवर।

14— जानकी देवी धर्मपत्नी संतोष कुमार अरोडा, जाति अरोडा खत्री, निवासी 6, विकास पथ, अलवर, तहसील व जिला अलवर।

15— प्रवीण कुमार पुत्र संतोष कुमार अरोडा, जाति अरोडा खत्री, निवासी 6, विकास पथ, अलवर, तहसील व जिला अलवर।

—असल प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण

16— साजन सिंह उर्फ साजू पुत्र स्व. श्री ढहरा सिंह उर्फ ढेरासिंह

17— कुन्दन सिंह पुत्र स्व. श्री ढहरा सिंह उर्फ ढेरासिंह

18— होशियार सिंह पुत्र स्व. श्री ढहरा सिंह उर्फ ढेरासिंह

19— पदमा कौर पत्नी स्व. बाबू सिंह पुत्र वधु स्व. श्री ढहरा सिंह उर्फ ढेरासिंह

20— रणजीत सिंह पुत्र स्व. बाबूसिंह पौत्र स्व. श्री ढहरा सिंह उर्फ ढेरासिंह

21— अनिल सिंह उर्फ सुरजीत सिंह पुत्र स्व. बाबूसिंह पौत्र स्व. श्री ढहरा सिंह उर्फ ढेरासिंह

22— रविन्द्र सिंह पुत्र स्व. बाबूसिंह पौत्र स्व. श्री ढहरा सिंह उर्फ ढेरासिंह

23— संजीव सिंह उर्फ संजीप सिंह पुत्र स्व. बाबूसिंह पौत्र स्व. श्री ढहरा सिंह उर्फ ढेरासिंह जाति सिक्ख, निवासीयान ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर।

24— बच्चन सिंह पुत्र ठाकर सिंह पौत्र मक्खन सिंह जाति सिक्ख

25— धर्मसिंह पुत्र ठाकर सिंह पौत्र मक्खन सिंह जाति सिक्ख

26— श्रीमति वन्ती कौर धर्मपत्नी ठाकर सिंह पुत्र वधु मक्खन सिंह जाति सिक्ख

27— सॉवल सिंह पुत्र मक्खन सिंह जाति सिक्ख

28— बरफी कौर पुत्री मक्खन सिंह धर्म पत्नी इन्द्रसिंह जाति सिक्ख निवासीयान ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

–तरतीबी प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

29– पंजाब नेशनल बैंक शाखा उमरैण, तहसील व जिला अलवर जर्ये शाखा प्रबन्धक

30– भूमिधारी तहसीलदार अलवर जर्ये लैण्ड होल्डर

–तकमीली प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 व आदेश 39 नियम 01–02 तथा सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

–: निर्णय :– दिनांकः 27.05.2019

वादी द्वारा एक दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 88, 89, 91 188 के अन्तर्गत पेश किया है। दावे के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 2/45 दिनांक 05.05.2016 तत्पश्चात प्रार्थना पत्र संख्या 2/88 दिनांक 28.07.2016 पेश किया है। वक्त दायरी दावा विभाजन की गई आराजी खसरा नम्बर सहवन से दर्ज करने से रह जाने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा का द्वितीय प्रार्थना पत्र 2/88 दिनांक 28.07.2016 पेश किया है। प्रार्थना पत्र संख्या 2/45 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 10 असल प्रतिवादी एवं 11 लगा० 25 तरतीबी प्रतिवादी दर्ज किये गये है। प्रार्थना पत्र संख्या 2/88 जो दिनांक 28.7.2016 को पेश किया गया है, जिसमें प्रार्थना पत्र संख्या 2/45 के असल प्रतिवादीगण के साथ भूरू पुत्र हरबक्स, संतोष बाई धर्म पत्नी स्व. मान सिंह, मूल चन्द पुत्र परभाती, जानकी देवी धर्मपत्नी संतोष कुमार अरोडा, प्रवीण कुमार पुत्र संतोष कुमार अरोडा के नाम जोडे गये है। प्रार्थना पत्र संख्या 2/45 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 329 व 335 कें साथ आराजी खसरा संख्या 344, 345, 336, 339, 340, 337, 338, 341, 331, 333/792 व 330, 332, 332/807, 333, वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर जोडे गये है। चूँकि वादी एवं प्रतिवादीगण प्रतिवादी संख्या 11 लगा० 15 के अलावा समान है। इस कारण दोनो ही प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जाना हम उचित समझते है।

प्रार्थी ने ये दोनो प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किये है। जिसमें प्रार्थी ने अंकित किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 329 रकबा 0.38 है०, 335 रकबा 0.97 है०, 344 रकबा 0.69 है०, 345 रकबा 0.91 है०, 336 रकबा 0.02 है०, 339 रकबा 0.21 है०, 340 रकबा 0.11 है०, 337 रकबा

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

0.01 है०, 338 रकबा 0.09 है०, 341 रकबा 0.04 है०, 331 रकबा 0.01 है०, 333/792 रकबा 0.05 है०, 330 रकबा 0.39 है०, 332 रकबा 1.34 है०, 332/807 रकबा 0.01 है०, 333 रकबा 0.75 है० वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर विवादित आराजी उक्त वाद में होना अंकित किया है। साबिक खसरा नम्बर 465/723 रकबा 05 बिस्वा व 473 मिन रकबा 14 बिस्वा जिसके हाल बन्दोबस्त सम्वत 2051 में हाल खसरा नम्बर 329 रकबा 0.38 है०, में से 0.06 है०, 335 रकबा 0.97 है०, में से 0.18 है० को मिलाकर हाल खसरा नम्बर 329 एवं 335 कायम किये है। आगे प्रार्थी ने जाहिर किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 329 रकबा 0.38 है०, में से 0.06 है० 335 रकबा 0.97 है०, में से 0.18 है०,का काबिज खातेदार काश्तकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 16 लगा० 28 के पूर्वज स्व० खडक सिंह थे। विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 व तरतीबी प्रतिवादी की हिन्दू मुश्तर्का खानदान की पैतृक अविभाजित आराजी है। जिसके प्रार्थी का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 16 लगा० 18 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा तथा 19 लगा० 23 का 1/12 हिस्सा व 24 लगा० 26 का 1/2 में से 1/6 हिस्सा 27 व 28 का 1/6, 1/6 हिस्सा एवं प्रार्थी एवं अप्राथीगण सामलात में काश्त करते चले आ रहे है एवं काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास प्रार्थी के दादा खडकसिंह के जीवनकाल में ही हो गया था। प्रार्थी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 17 एवं 18 नाबालिग थे। जो सरपरस्त सत्तूसिंह थे। साबिक खसरा नम्बर 473 रकबा 14 बिस्वा व 465/723 रकबा 05 बिस्वा का अन्य खसरा नम्बरान के साथ प्रतिवादी संख्या 1 ने गलत रूप से कीमत कर्जा भरके हकूक खातेदारी मु० पट्टा नम्बर 35/Reh/84/16/887 दिनांक 14.08.1984 तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर अलवर से प्राप्त कर लिया। जिस सनद पट्टा के आधार पर नामान्तकरण संख्या 434 प्रतिवादी संख्या 1 के हक में स्वीकार किया गया है। जिसके आधार पर जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 सत्तू सिंह के नाम खातेदारी अंकित की गई है। उक्त इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 सत्तू सिंह ने प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 के हक में विवादित साबिक आराजी खसरा नम्बर 473 मिन रकबा 14 बिस्वा व 465/723 रकबा 05 बिस्वा का बयनामा दिनांक 27.08.1984 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 380 के पृष्ठ संख्या 213 क्रम संख्या 1352 पर उप पंजीयक कार्यालय में पंजिबद्ध कराया है। ये बयनामा प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिफल राशि लिये बिना एवं मौके पर कब्जा हस्तान्तरण कराये बिना कराया है।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

उक्त वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है। जिस पर सामलात में सभी काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। चूँकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या के पिता ढेहरासिंह उर्फ ढेरा सिंह का स्वर्गवास खडकसिंह के जीवनकाल में ही हो गया था। तरतीबी प्रतिवादी संख्या 17 व 18 नाबालिग थे प्रतिवादी संख्या–1 खानदान का कर्ता था। कर्ता होने का नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त आराजी की खातेदारी अकेले स्वयं के नाम प्राप्त कर ली। चूँकि आराजी पैतृक थी इसलिये सभी के नाम पट्टा जारी होना चाहिए था। प्रतिवादी संख्या–1 ने अपने नाम पट्टा जारी कराकर उसका नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त आराजी का बयनामा प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 के हक में बिना जरेबदल व बिना कब्जा दिये बयनामा कराया है जो बयनामा प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के हकूको के खिलाफ बातिल एवं बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी है। प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 ने बयनामे के आधार पर नामान्तकरण संख्या 435 अपने हक में ग्राम पंचायत उमरैण द्वारा दिनांक 15.11.1984 को स्वीकार करा लिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 का नाम कागजात माल में अमल दरामद हो गया। नामान्तकरण संख्या 435 प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 के हक में दर्ज होकर स्वीकार हुआ है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है। असल अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 15 द्वारा विवादित आराजी का दिनांक 6.10.2015 को विभाजन कराया गया है। जिस विभाजन के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 15 के हक में नामान्तकरण संख्या 496 व 506 दर्ज होकर स्वीकार किये गये है। उक्त नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार हो जाने से अप्रार्थीगण प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत करने व उक्त आराजी को बेचान करने पर तुले हुए है। विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 329 रकबा 0.38 है०, 335 रकबा 0.97 है०, 344 रकबा 0.69 है०, 345 रकबा 0.91 है०, 336 रकबा 0.02 है०, 339 रकबा 0.21 है०, 340 रकबा 0.11 है०, 337 रकबा 0.01 है०, 338 रकबा 0.09 है०, 341 रकबा 0.04 है०, 331 रकबा 0.01 है०, 333/792 रकबा 0.05 है०, 330 रकबा 0.39 है०, 332 रकबा 1.34 है०, 332/807 रकबा 0.01 है०, 333 रकबा 0.75 है० वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर का आपस में दिनांक 6.10.2015 को बिला अधिकार बिला कब्जा गलत रूप से विभाजन किया है जो मौके व रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। असल प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 15 को विवादित आराजी का विभाजन करने का किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही था। प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 15 ने बराय बदयान्ति प्रार्थी व तरतीबी

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

करने एवं रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किये जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2,3,4,5, व 10 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया। जवाब में अंकित किया है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 465/723 व 473 जिनका हाल खसरा नम्बर 329 व 335 कायम किये गये है। जिनका प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार था। जिसके हक में सनद पट्टा 14.08.1984 को जारी हुआ था। उक्त आराजी का प्रतिवादी संख्या 1 सत्तू सिंह खातेदार काश्तकार था जिसने दिनांक 23.08.1984 को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 को बेचान कर दिया। जिसका इंतकाल नम्बर 351 उनके नाम खोला गया। उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने अपने खातेदारी के खरीदशुदा आराजी को प्रतिवादी संख्या 10 को विक्रय कर दिया। जिसका इंतकाल प्रतिवादी संख्या 10 के हक में दर्ज व मंजूर हुआ। जिसके पूर्ण जानकारी प्रार्थी वादी को शुरू से थी तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने अपनी आराजी को अन्य प्रतिवादी संख्या 6,7,8,9 व 11 को विक्रय किया है। जिनके हक में इंतकाल खोले गये। तद्उपरान्त खातेदारान ने अपनी आराजी का विभाजन तहसीलदार अलवर के कार्यालय से कराया जिसका इंतकाल खोला जाकर स्वीकार किये जा चुके है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में दर्ज करना की आराजी पैतृक आराजी है गलत है। खरीदशुदा आराजी प्रतिवादी संख्या–1 सत्तू सिंह की खातेदारी की आराजी थी। जिसे प्रार्थीगण ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा 32 वर्ष पूर्व खरीद किया था। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में तरतीबी प्रतिवादी संख्या 16 लगा० 19 के पति/पिता का कर्ता खानदान प्रतिवादी संख्या–1 था जिसकी परवरिश में प्रतिवादी संख्या 17 व 18 रहते थे। वाद का मिथ्या आधार बनाने की गर्ज से अंकित किया है। प्रतिवादी संख्या 1 के हक में विवादित आराजी खसरा नम्बर 473, 465/723 का पट्टा उसकी अन्य आराजी के साथ जारी कराया गया हो यह कथन प्रार्थी का गलत है। प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 ने प्रतिवादी संख्या 1 को भारी प्रतिफल अदा कर जर्ये बयनामा दिनांक 27.08.1984 उसमें वर्णित आराजी खरीद की है जिसे विक्रय किया जा चुका है। क्रेतागण द्वारा आपसी विभाजन कर विभाजन का इंतकाल संख्या 496, 506 भी खोला जा चुका है। जिसकी जानकारी भी प्रार्थी को पूर्व से थी। प्रार्थी का यह कथन कि प्रतिवादी संख्या 1 ने बिला प्रतिफल व बिला कब्जा प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 के हक में दिनांक 27.07.1984 को बयनामा पंजीबद्ध करवाया है जो बातिल, बेअसर नाकाबिल पाबन्दी है खिलाफ तथ्य व कानून कथन है। प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजी का खातेदार था

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

जिसे आराजी को विक्रय करने का पूर्ण हक व अधिकार था। जिसने भारी प्रतिफल प्राप्त कर आराजी का विक्रय कर कब्जा दिया था जिसके आधार पर इंतकाल खोला जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हुये है। प्रार्थी दिलीप सिंह व अप्रार्थी संख्या 1 सत्तू सिंह व तरतीबी अप्रार्थीगण आपस में भाई भतीजे व संयुक्त परिवार के सदस्य है जिन्होंने बमिल्लत यह झूठा वाद व प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान् में पेश कराया है। प्रार्थी ने बदनियति पूर्वक स्वयं की जन्मतिथी अंकिन नही की है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी ने बालिग होने के उपरान्त मुताबिक कानून मियाद निकलने के उपरान्त इस तथ्य को छुपाते हुए यह वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है जो किसी भी रूप में कानूनन पोषनीय नही है। अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 5 के हक में इंतकाल संख्या 435 दिनांक 15.11.1984 को स्वीकार किया गया था जिसे लगभग 32 वर्ष पश्चात गलत बताना खिलाफ कानून है। इस इंतकाल को प्रार्थी द्वारा कोई चुनौती नही दी गई है एवं ना ही बयनामा को कानूनन किसी न्यायालय को चुनौती दी गई है। प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 के हक में किये गये इन्द्राजात मुताबिक कानूनन है जो बातिल, बेअसर नाकाबिल पाबन्दी नही है। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में कोई हक किसी प्रकार का नही है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थी संख्या 2,3,4,5 व 10 के पक्ष में है। प्रार्थी ने इंतकाल संख्या 351, 434, 496 व 506 को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। कागजातमाल में अप्रार्थी संख्या 2,3,4,5, व 10 के पक्ष में जो इन्द्राजात हुए है वो बिल्कुल सही है। प्रार्थी शुद्ध हस्त से न्यायालय में उपस्थित नही हुआ है एवं उसने इरादतन अपनी जन्म तिथी भी दर्ज नही की है ओर ना ही यह दर्ज किया है की प्रार्थी कब बालिग हुआ है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 6,7,8,9 व 11 की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। जवाब में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम लिवार तहसील अलवर में स्थित है जो प्रार्थी ने विवादित बताया है। यह आराजी विवादित नही है हम अप्रार्थीगण ने जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की है। यह आराजी तन्हा अप्रार्थी संख्या 1 सत्तूसिंह के हकूक कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर, अलवर द्वारा पट्टा जारी किया गया था जिसके आधार पर इंतकाल संख्या 434 सही प्रकार से दर्ज व स्वीकार किया गया है। हम अप्रार्थीगण बोनाफाईड परचेजर होने के कारण काबिज दाखिल है। हम अप्रार्थीगण ने आराजी मुतनाजा को बेशकीमती रूपयों में खरीद की है, वक्त

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

खरीद से ही हम अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। सर्व प्रथम सत्तू सिंह द्वारा दिनांक 27.08.1984 को आराजी मुतनाजा 465/723 रकबा 5 बिस्वा, 470 रकबा 5 बिस्वा, 471 रकबा 2 बिस्वा, 472 रकबा 3 बिस्वा व 474 रकबा 14 बिस्वा चिम्मन लाल, गुल्याराम पिसरान गैंदाराम, लालाराम, हरिराम पिसरान मिल्याराम जाति सैनी को बेचान किया, जिसका इंतकाल संख्या 351 चढ गया। प्रवीण अरोडा पुत्र सन्तोष कुमार ने 337, 338, 341 में 1/6 हिस्सा 336, 337, 340 किता 3 में से रकबा 5 बिस्वा में से 1/6 हिस्सा आराजी खसरा नम्बर 344, 345 में से 1/6 हिस्सा जो इंतकाल संख्या 51 हो गया है। सन्तोष कुमार पुत्र ढल्लाराम ने उपरोक्त नम्बरान में अपना हिस्सा भूरू पुत्र हरबक्स जाति चमार खसरा नम्बर 334, 345, किता 2 जितेन्द्र पुत्र तनेलाल को दिनांक 11.05.2006 को सन्तोष कुमार पुत्र ढल्लाराम, श्रीमति जानकी पत्नी सन्तोष कुमार, प्रवीण कुमार पुत्र सन्तोष कुमार ने अपना हिस्सा जितेन्द्र कुमार पुत्र तनेलाल को दिनांक 04.07.2005 को बेचान कर दिया। सन्तोष कुमार पुत्र ढल्लाराम अरोडा, जानकी देवी पत्नी सन्तोष कुमार, प्रवीण कुमार पुत्र सन्तोष कुमार ने अपना हिस्सा, नारायण लाल सैनी पुत्र रामलाल को बेचान दिनांक 15.07.2005 को कर दिया। सन्तोष कुमार पुत्र ढल्लाराम, जानकी देवी, प्रवीण कुमार ने राजकुमार सैनी पुत्र नारायण लाल को दिनांक 15.07.2005 को बेचान कर दी जिसका इंतकाल नम्बर 506 चढा। सत्तूसिंह द्वारा जो चिम्मन लाल, गुल्यारा पुत्र गैंदाराम को आराजी बेची थी उसका इंतकाल दिनांक 1.10.1984 को इंतकाल नम्बर 435 भूरू पुत्र हरबक्स के हक में दिनांक 6.10.2015 को चढा दिया। तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर, अलवर द्वारा जो पट्टा वादग्रस्त आराजी का जारी किया गया है उसे निरस्त करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान को नही है। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में इंतकाल खातेदारदी आराजी मुतनाजा व अन्य आराजी का दिनांक 23.08.1984 को दर्ज व स्वीकार किया है। प्रार्थी ने मौजूदा दावा सन् 2016 में पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में इंतकाल खातेदारी संख्या 434 का इल्म वक्त दर्ज होने इंतकाल प्रार्थी को प्रार्थी सन् 1988 में बालिग हो गया था। प्रार्थी ने 29 साल बाद यह वाद एवं प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान् में पेश किया है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है। इंतकाल संख्या 434 प्रतिवादी संख्या 1 काबिल मान्य है। बातिल, बेअसर काबिल पाबन्दी नही है। प्रतिवादी संख्या 6,7,8,9 व 11 द्वारा मौके पर बटवारा तहसीलदार अलवर के यहां से कराया जा चुका है। बटवारे का इंतकाल भी अप्रार्थी संख्या 6,7,8,9, व 11 के पक्ष में मंजूर हो चुके है। जिस बटवारेनामे व उसके आधार पर दर्ज इंतकालों को प्रार्थी ने चुनौती नही दी है जिस कारण वाद व प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। सत्तू सिंह

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या–1 ने साबिक खसरा नम्बर 470 रकबा 3 बिस्वा, 471 रकबा 2 बिस्वा, 472 रकबा 3 बिस्वा, 474मिन रकबा 14बिस्वा 465/723मिन रकबा 5 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा जर्ये बयनामा दिनांक 27.8.1984 के चिम्मनलाल, गुल्याराम पिसरान गैंदाराम, लालाराम, हरिराम पिसरान मिल्या राम जाति सैनी निवासी धोबी घट्टा को फरोक्त कर कर दिया। टहलसिंह पुत्र निहाल सिंह ने आराजी खसरा नम्बर 473मिन 10 बिस्वा जर्ये दस्तावेज बयनामा 4.6.1984 को चिम्मनलाल, गुल्याराम, पिसरान गैंदाराम, लालाराम, हरिराम पिसरान मिल्याराम जाति सैनी निवासी धोबी घट्टा को फरोक्त कर दिया। हम प्रतिवादीगण संख्या 6,7,8,9 व 11 ने आराजी मुतनाजा खरीद की है। बाद खरीद हम प्रतिवादीगण व अन्य सहकाश्तकारान प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन आराजी मुतनाजा व अन्य आराजी बाबत डी. आर. साहब के आदेश क्रमांक 5052 दिनांक 6.10.2015 के तहत आराजी मुतनाजा व अन्य आराजियात का विभाजन हो चुका है। विभाजन के तहत हम प्रतिवादीगण व अन्य सहकाश्तकारान प्रतिवादीगण के नाम इंतकाल विभाजन नं० 506 दर्ज व स्वीकार फरमाया जा चुका है। हम प्रतिवादीगण विवादित आराजी मुतनाजा पर काबिज दाखिल है। वादग्रस्त आराजी पैतृक नही है। खरीदशुदा आराजी पर खरीद की दिनांक से ही काबिज रहकर काबिज चले आ रहे है। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पट्टा गलत जारी हुआ हो व प्रतिवादी संख्या 1 ने सही प्रकार से तत्कालीन मोटी रकम लेकर बयनामा प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 के हक में कराया है। बयनामा 27.08.1984 का है। जिसे वाद में प्रार्थी को चुनौती देने का अधिकार नही है। बयनामा निरस्त करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान् को नही है। प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादीगण को यदि प्रतिवादी संख्या 1 के हक में जारी पट्टा बाबत एतराज था तो मियाद में सनद पट्टे के विरूद्ध मैनेजिंग आफिसर के विरूद्ध अपील की जानी चाहिए थी। न्यायालय श्रीमान् को पट्टा निरस्त करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थी द्वारा प्रतिवादी संख्या 6,7,8,9, व 11 व अन्य के द्वारा मौके पर बटवारा हो जाने पर इंतकाल दर्ज हो गया है। जिस पर प्रार्थी ने कब्जे की रिपोर्ट भी प्रतिवादीगण संख्या 6,7,8,9, व 11 के हक में की है। इसे वाद व प्रार्थना पत्र में चुनौती नही दी है। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजी का विभाजन श्रीमान् डी.आर. साहब के आदेश क्रमांक 5082 दिनांक 6.10.2015 के तहत आराजी मुतनाजा व अन्य आराजीयात का विभाजन हो चुका है। विभाजन के तहत हम प्रतिवादीगण व अन्य सहकाश्तकारान प्रतिवादीगण के नाम इंतकाल विभाजन नम्बर 496, 506 दर्ज व स्वीकार हो चुका है। हम प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर बतौर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

खातेदार काबिज दाखिल है। आराजी मुतनाजा का क्रय विक्रय निम्न प्रकार हुआ है। सन्तोष कुमारा अरोडा पुत्र ढल्लाराम अरोडा ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 337 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 338 रकबा 0.09 है०, 341 रकबा 0.04 है० किता 3 रकबा 0.14 है० में से हिस्सा 7 बिस्वा में से 1/6 हिस्सा व खसरा नम्बर 336 रकबा 0.02 है०, 339 रकबा 0.21 है०, 340 रकबा 0.11 है० किता 3 में से 15 बिस्वा में से 1/6 हिस्सा, रकबा 0.22 है० को ग्राम लिवारी तहसील अलवर में था को दिनांक 10.03.2000 को ऊंची कीमत लेकर प्रतिवादी संख्या 11 को बेचान कर दिया। इसी प्रकार जानकी पत्नी सन्तोष कुमार अरोडा ने अपना हिस्सा खसरा नम्बर 344 रकबा 0.69 है० 345 रकबा 0.91 है० किता 2 रकबा 1.60 है० 7 ऐयर में से 1/6 हिस्सा भूरू पुत्र हरबक्स जाति चमार को दिनांक 7.4.2000 को जर्ये रजिस्टर्ड बेचान कर दिया। प्रवीण कुमार अरोडा पुत्र संतोष कुमार अरोडा उपरोक्त नम्बरान में अपना सम्पूर्ण हिस्सा भूरू पुत्र हरबक्स को बेचान कर दिया। जो इंतकाल नम्बर 49, 50, 51 इन विक्रेताओं के नाम चढे थे को चुनौती नही दी गई। संतोष कुमार पुत्र ढल्ला राम ने आराजी खसरा नम्बर 344 रकबा 0.69 है० 345 रकबा 0.51 है० कुल किता 2 रकबा 1.60 है० तथा 1है60 ऐयर में से 1/32 हिस्सा सम्पूर्ण अंश जितेन्द्र कुमार सैनी पुत्र तनेलाल सैनी निवाासी इमलीवाला कुआं को बेच दिये। सन्तोष कुमार, श्रीमती जानकी देवी, प्रवीण कुमार ने दिनांक 4.7.2005 को खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 329 रकबा 0.38 है०, 330 रकबा 0.39 है०, 332 रकबा 1.34 है०, 32/807 रकबा 0.01 है०, 333 रकबा 75 है०, 335 रकबा 0.97 है० किता 6 रकबा 3.84 है० में से 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण अंश में से 1/4 हिस्सा व आराजी खसरा नम्बर 331 रकबा 0.01 है०, गैर मुमकिन चाह में से अपना सम्पूर्ण अंश में से 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 333/792 रकबा 0.05 है० में से 1/2 सम्पूर्ण अंश में से 1/4 हिस्सा व आराजी खसरा नम्बर 361/815 रकबा 0.34 है० में से 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण अंश में से 1/4 हिस्सा वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर भारी कीमत देकर जितेन्द्र कुमार पुत्र तनेलाल सैनी निवासी ईमलीवाला कुआं, अलवर ने दिनांक 4.5.2007 को खरीद लिया। सन्तोष कुमार, जानकी देवी, प्रवीण कुमार ने खसरा नम्बर 329 रकबा 0.38 है०, 330 रकबा 0.39 है०, 332 रकबा 1.34 है०, 332/807 रकबा 0.01 है०, 333 रकबा 0.75 है०, 335 रकबा 0.97 है०, किता 6 रकबा 3. है० में से 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण अंश में से 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 333/792 रकबा 0.05 है० में से 1/2 हिस्सा अपने पूर्ण अंश में से 1/4 हिस्सा, 10 बिस्वा में से 1/4 हिस्सा वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर का बेचान जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान दिनांक 15.7.2005 को श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र नारायण

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

लाल सैनी लखण्डा वाला कुआ अलवर से भारी कीमत लेकर बेचान कर दिया। संतोष कुमार, जानकी देवी, प्रवीण कुमार ने बयनामा दिनांक 15.7.2005 को खसरा नम्बर 329 रकबा 0.38 है०, 330 रकबा 0.39 है०, 332 रकबा 1.34 है०, 335 रकबा 0.97 है० किता 6 रकबा 3.84 है० अपने हिस्सा 1/2 में से 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 331 रकबा 0.01 में से 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 333/792 रकबा 0.05 है० में से 1/2 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा, व खसरा नम्बर 361/815 रकबा 0.34 है०, 1/4 हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड बयनाम बेचान कर दिया। संतोष कुमार, जानकी देवी, व प्रवीण कुमार ने अपना हिस्सा नारायण लाल सैनी पुत्र रामलाल सैनी लखण्डावाला कुआं अलवर को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 15.7.2005 को तत्कालीन बढी कीमत देकर खरीद कर लिया। खसरा नम्बर 329, 330, 332, 332/807, 333, 335, 331, 333/792, 361/815 में से हिस्सा बेचने वालो का था दिया गया। सभी के इंतकाल चढ चुके है। कागजात माल में बतौर खातेदार दर्ज है एवं आराजी मुतनाजा पर काबिज है। वादी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थीगण संख्या 1, 12, 13, 15 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 09.01.2019 को इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के इन्ग्रीडियेंश 01–प्रथम दृष्टया केस 02– सुविधा का सन्तुलन 03– अपूर्णिय क्षति का हवाला देकर प्रार्थना पत्र में दर्ज विवरण को दोहराते हुए न्यायालय को निवेदन किया की वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 329 रकबा 0.38 है०, 335 रकबा 0.97 है०, 344 रकबा 0.69 है०, 345 रकबा 0.91 है०, 336 रकबा 0.02 है०, 339 रकबा 0.21 है०, 340 रकबा 0.11 है०, 337 रकबा 0.01 है०, 338 रकबा 0.09 है०, 341 रकबा 0.04 है०, 331 रकबा 0.01 है०, 333/792 रकबा 0.05 है०, 330 रकबा 0.39 है०, 332 रकबा 1.34 है०, 332/807 रकबा 0.01 है०, 333 रकबा 0.75 है० वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर विवादित आराजी उक्त वाद में होना अंकित किया है। साबिक खसरा नम्बर 465/723 रकबा 05 बिस्वा व 473 मिन रकबा 14 बिस्वा जिसके हाल बन्दोबस्त सम्वत 2051 में हाल खसरा नम्बर 329 रकबा 0.38 है०, में से 0.06 है०, 335 रकबा 0.97 है०, में से 0.18 है० को मिलाकर हाल खसरा नम्बर 329 एवं 335 कायम किये है। आगे प्रार्थी ने जाहिर किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 329 रकबा 0.38 है०, में से 0.06 है० 335 रकबा 0.97

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

है०, में से 0.18 है०,का काबिज खातेदार काश्तकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 16 लगा० 28 के पूर्वज स्व० खडक सिंह थे। विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी व तरतीबी प्रतिवादी की हिन्दू मुश्तर्का खानदान की पैतृक अविभाजित आराजी है। जिसके प्रार्थी का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 16 लगा० 18 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा तथा 19 लगा० 23 का 1/12 हिस्सा व 24 लगा० 26 का 1/2 में से 1/8 हिस्सा 27 व 28 का 1/6, 1/6 हिस्सा एवं प्रार्थी एवं अप्राथीगण सामलात में काश्त करते चले आ रहे है एवं काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास प्रार्थी के दादा खडकसिंह के जीवनकाल में ही हो गया था। प्रार्थी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 17 एवं 18 नाबालिग थे। जो सरपरस्त सत्तूसिंह थे। साबिक खसरा नम्बर 473 रकबा 14 बिस्वा व 465/723 रकबा 05 बिस्वा का अन्य खसरा नम्बरान के साथ प्रतिवादी संख्या 1 ने गलत रूप से कीमत कर्जा भरके हकूक खातेदारी मु० पट्टा नम्बर 35/Reh/84/16/887 दिनांक 14.08.1984 तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर अलवर से प्राप्त कर लिया। जिस सनद पट्टा के आधार पर नामान्तकरण संख्या 434 प्रतिवादी संख्या 1 के हक में स्वीकार किया गया है। जिसके आधार पर जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 सत्तू सिंह के नाम खातेदारी अंकित की गई है। उक्त इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 सत्तू सिंह ने प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 के हक में विवादित साबिक आराजी खसरा नम्बर 473 मिन रकबा 14 बिस्वा व 465/723 रकबा 05 बिस्वा का बयनामा दिनांक 27.08.1984 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 380 के पृष्ठ संख्या 213 क्रम संख्या 1352 पर उप पंजीयक कार्यालय में पंजिबद्ध कराया है। ये बयनामा प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिफल राशि लिये बिना एवं मौके पर कब्जा हस्तान्तरण कराये बिना कराया है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है। जिस पर सामलात में सभी काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। चूँकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या के पिता ढेहरासिंह उर्फ ढेरा सिंह का स्वर्गवास खडकसिंह के जीवनकाल में ही हो गया था। तरतीबी प्रतिवादी संख्या 17 व 18 नाबालिग थे प्रतिवादी संख्या–1 खानदान का कर्ता था। कर्ता होने का नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त आराजी की खातेदारी अकेले स्वयं के नाम प्राप्त कर ली। चूँकि आराजी पैतृक थी इसलिये सभी के नाम पट्टा जारी होना चाहिए था। प्रतिवादी संख्या–1 ने अपने नाम पट्टा जारी कराकर उसका नाजायज

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

फायदा उठाते हुए उक्त आराजी का बयनामा प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 के हक में बिना जरेबदल व बिना कब्जा दिये बयनामा कराया है जो बयनामा प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के हकूको के खिलाफ बातिल एवं बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी है। प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 ने बयनामे के आधार पर नामान्तकरण संख्या 435 अपने हक में ग्राम पंचायत उमरैण द्वारा दिनांक 15.11.1984 को स्वीकार करा लिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 का नाम कागजात माल में अमल दरामद हो गया। नामान्तकरण संख्या 435 प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 के हक में दर्ज होकर स्वीकार हुआ है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है। असल अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 15 द्वारा विवादित आराजी का दिनांक 6.10.2015 को विभाजन कराया गया है। जिस विभाजन के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 15 के हक में नामान्तकरण संख्या 496 व 506 दर्ज होकर स्वीकार किये गये है। उक्त नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार हो जाने से अप्रार्थीगण प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत करने व उक्त आराजी को बेचान करने पर तुले हुए है। विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 329 रकबा 0.38 है०, 335 रकबा 0.97 है०, 344 रकबा 0.69 है०, 345 रकबा 0.91 है०, 336 रकबा 0.02 है०, 339 रकबा 0.21 है०, 340 रकबा 0.11 है०, 337 रकबा 0.01 है०, 338 रकबा 0.09 है०, 341 रकबा 0.04 है०, 331 रकबा 0.01 है०, 333/792 रकबा 0.05 है०, 330 रकबा 0.39 है०, 332 रकबा 1.34 है०, 332/807 रकबा 0.01 है०, 333 रकबा 0.75 है० वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर का आपस में दिनांक 6.10.2015 को बिला अधिकार बिला कब्जा गलत रूप से विभाजन किया है जो मौके व रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। असल प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 15 को विवादित आराजी का विभाजन करने का किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही था। प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 15 ने बराय बदयान्ति प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को बेजा रूप से नुकसान पहुॅचाने की गर्ज से अपने आप को फायदा पहुॅचाने की दृष्टि से यह समस्त कार्यवाही की है, जो विभाजन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के हक हकूको के खिलाफ बातिल व बेअसर नाकाबिल पाबन्दी है एवं नामान्तकरण संख्या 496 व 506 निरस्त किये जाने योग्य है एवं जमाबन्दी में जो इन्द्राज उक्त नामान्तकरणों के आधार पर हुए है प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगणों के हक हकूको के मुकाबले बातिल व बेअसर नाकाबिल पाबन्दी करार दिये जाने योग्य है। अन्त में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 329 रकबा 0.38 है०, 335 रकबा 0.97 है०, 344 रकबा 0.69 है०, 345

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

रकबा 0.91 है०, 336 रकबा 0.02 है०, 339 रकबा 0.21 है०, 340 रकबा 0.11 है०, 337 रकबा 0.01 है०, 338 रकबा 0.09 है०, 341 रकबा 0.04 है०, 331 रकबा 0.01 है०, 333/792 रकबा 0.05 है०, 330 रकबा 0.39 है०, 332 रकबा 1.34 है०, 332/807 रकबा 0.01 है०, 333 रकबा 0.75 है० वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर को किसी भी प्रकार से रहन, बय हिबे आदि के द्वारा मुन्तकिल ना करने व प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत ना करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र संख्या 2/45 दिनांक 05.05.2016 पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड की नकलात का अवलोकन करने पर एवं वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन करने एवं शपथपत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने पर दिनांक 05.05.2016 को अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से, आराजी खसरा नम्बर 329 रकबा 0.38 है० व 335 रकबा 0.97 है० वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर में रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया एवं प्रार्थना पत्र संख्या 2/88 दिनांक 28.07.2016 वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड की नकलात का अवलोकन करने पर एवं वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन करने एवं शपथपत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने पर आराजी खसरा नम्बर 344 रकबा 0.69 है०, 345 रकबा 0.91 है०, 336 रकबा 0.02 है०, 339 रकबा 0.21 है०, 340 रकबा 0.11 है०, 337 रकबा 0.01 है०, 338 रकबा 0.09 है०, 341 रकबा 0.04 है०, 331 रकबा 0.01 है०, 333/792 रकबा 0.05 है०, 330 रकबा 0.39 है०, 332 रकबा 1.34 है०, 332/807 रकबा 0.01 है०, 333 रकबा 0.75 है० वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर को किसी प्रकार से रहन, बय, हिबे से मुन्तकिल नही करने एवं रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया।

चूँकि आराजी पैतृक है इस लिए अप्रार्थी संख्या–1 को ताफैसला पाबन्द किया जावे की वो वादग्रस्त आराजी को किसी प्रकार से बेचान ना करे। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसके समर्थन में निम्न नजीरे पेश की है:–

आरआरडी 1993 पेज 206

आरआरडी 1998 पेज 188

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

डीएनजे 2017 सर्वोच्च न्यायालय पेज 290

डीएनजे 2016 (।।) पेज 945

डीएनजे 2016 (।) राजस्थान पेज 393

आरआरसी 1998 पेज 58

आरआरटी 2009 (।।) पेज 806

आरआरटी 2011 (।।) पेज 788

आरआरटी 2004 (।।) पेज 895

आरआरडी 1989 पेज 527 सी

आरआरडी 1988 पेज 337

आरएलआर 1998 (।) पेज 159

आरआरटी 2018 (।) पेज 534

आरआरडी 2012 पेज 37

आरआरडी 2012 पेज 69

आरआरडी 1988 पेज 279

आरआरडी 2011 पेज 367

एवं एक इस्तगाशा की फोटोप्रति सरकार बनाम सन्तूसिंह अन्तर्गत धारा 110 सीआरपीसी मुकदमा नं० 18/294 तारीख रज्जू 31.07.1985 पेश की है।

वकील अप्रार्थी संख्या 2,3,4,5, व 10 की ओर से श्री चन्द्रमोहन शर्मा एडवोकेट व अप्रार्थी संख्या 6, 7, 8, 9 व 11 के वकील श्री सुरेन्द्र कुमार माथुर ने निवेदन किया की विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 329 रकबा 0.38 है०, 335 रकबा 0.97 है०, 344 रकबा 0.69 है०, 345 रकबा 0.91 है०, 336 रकबा 0.02 है०, 339 रकबा 0.21 है०, 340 रकबा 0.11 है०, 337 रकबा 0.01 है०, 338 रकबा 0.09 है०, 341 रकबा 0.04 है०, 331 रकबा 0.01 है०, 333/792 रकबा 0.05 है०, 330 रकबा 0.39 है०, 332 रकबा 1.34 है०, 332/807 रकबा 0.01 है०, 333 रकबा 0.75 है० वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर को प्रार्थी ने गलत प्रकार से विवादित बतलाया हैं। साबिक खसरा नम्बर 465/723 व 474 जिनके हाल खसरा नम्बर 329 व 335 बने है। जिसका मु० पट्टा नम्बर 35/Reh/84/16/887 दिनांक 14.08.1984 तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर अलवर द्वारा जारी किया गया। पट्टे के आधार पर नामान्तकरण संख्या 434 प्रतिवादी संख्या 1 सत्तूसिंह के नाम स्वीकार हुआ एवं जमाबन्दी में

नायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

इंतकाल के आधार पर सत्तू सिंह के नाम खातेदारी दर्ज की गई। सत्तूसिंह ने खातेदारी प्राप्त करने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 को प्रतिफल प्राप्त कर बयनाम उप पंजीयक के समक्ष पंजीबद्ध करा दिया। इस खरीदशुदा आराजी का बयनामे के आधार पर इंतकाल संख्या 435 खरीदार के हक में स्वीकार हुआ। अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 10 ने तहसील अलवर में तहसीलदार अलवर के समक्ष उपस्थित होकर खरीदशुदा आराजी का विभाजन दिनांक 6.10.2015 को करा लिया जिस विभाजन का इंतकाल संख्या 496 व 506 अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 10 के पक्ष में दर्ज होकर स्वीकार हुआ है। अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 5 ने अप्रार्थी संख्या 1 सत्तूसिंह से जर्ये बयनाम दिनांक 23.8.1984 को उसकी खातेदारी की आराजी व अन्य आराजी खरीद की गई थी जिसका इंतकाल संख्या 351 खोला गया। उसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 4 व 5 ने अपनी खरीदशुदा आराजी अप्रार्थी संख्या 10 को विक्रय कर दी एवं अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी खरीदशुदा आराजी अप्रार्थी संख्या 6, 7, 8, 9, व 11 को विक्रय कर दी। जिनके इंतकाल खरीदारों के नाम दर्ज होकर स्वीकार हुए है। अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी लगभग 32 वर्ष पूर्व खरीद की है। जिस पर वो काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व तरतीबी अप्रार्थीगण आपस में भाई व एक ही परिवार के सदस्य है। जिन्होने आपस में मिल्लत कर ये झूठा वाद व प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश कराया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किये गये बयनामा जो अप्रार्थीगण को किया है किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी है एवं इसी प्रकार इंतकाल संख्या 351, 434, 496, 506 के विरूद्ध भी कही सक्षम न्यायालय में कोई अपील पेश नही की है। सर्वप्रथम सत्तू सिंह द्वारा दिनांक 27.8.1984 को साबिक खसरा 465/723 रकबा 5 बिस्वा व खसरा नम्बर 470 रकबा 5 बिस्वा 471 रकबा 2 बिस्वा 472 रकबा 3 बिस्वा 474 रकबा 14 बिस्वा आराजी को चिम्मनलाल, गुल्या राम पिसरान गैदा राम, लालाराम हरिराम पि० मिल्याराम सैनी को बेचान कर दिया जिसका इंतकाल संख्या 351 खरीददारों के नाम स्वीकार हुआ। इसी प्रकार प्रवीण अरोडा पुत्र सन्तोष कुमार ने खसरा नम्बर 337, 338, 341, में से 1/6 हिस्सा 336, 337, 340 में से 5 बिस्वा में से 1/6 हिस्सा व खसरा नम्बर 344 व 345 में से 1/6 हिस्सा का इंतकाल संख्या 51 खरीददारों के नाम स्वीकार हुआ। इसी प्रकार भूरू पुत्र हरबक्स चमार खसरा नम्बर 334, 345 किता 2 जितेन्द्र पुत्र तनेलाल को दिनांक 11.5.2006 को सन्तोष कुमार पुत्र ढल्ल राम श्रीमती जानकी, प्रवीण कुमार ने अपना हिस्सा जितेन्द्र कुमार पुत्र तनेलाल को दिनांक 4.7.2005 बेचान कर दिया। सन्तोष कुमार, जानकी देवी व प्रवीण कुमार ने अपना हिस्सा नारायण लाल पुत्र रामलाल को दिनांक 15.7.2005 को बेचान कर दिया एवं शेष

उपायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

आराजी का हिस्सा राजकुमार पुत्र नारायण लाल को बेचान कर दिया। जिसका इंतकाल संख्या 506 खरीददारों के नाम दर्ज होकर स्वीकार हुआ। सत्तुसिंह द्वारा चिम्मनलाल, गुल्याराम पुत्र गैदाराम को जो आराजी बेची उसका इंतकाल 1.10.1984 को इंतकाल नम्बर 435 भूरू पुत्र हरबक्स के हक में दिनांक इंतकाल दिनांक 6.10.2015 को चढा। तहसीलदार अलवर द्वारा हाल आराजी खसरा नम्बर 329 व 335 का पट्टा सत्तुसिंह के नाम जारी किया जिस पट्टे के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के यहां अपील की जानी चाहिए थी जो प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण ने नही की है पट्टे को कैंसिल करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान को नहीं है। प्रार्थी सन् 1988 में बालिग हो गया था। प्रार्थी को उक्त खसरा नम्बरान जिनका बेचान किया गया के बारे में सारी जानकारियां थी उसके बावजूद भी प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी गण ने बयनामों को सक्षम न्यायालय मे चुनौती नही दी है एवं बयनामों के आधार पर जो इंतकाल हुए है उनकी भी कोई अपील किसी भी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन नही है। अप्रार्थीगण ने आपसी सहमति से तहसीलदार अलवर के यहां खरीद शुदा आराजी का बटवारा विधिक रूप से करा लिया है एवं बटवारे के आधार पर इंतकाल दर्ज हुए है जो बिल्कल सही है। उक्त आराजी पैतृक आराजी नही है। प्रार्थी ने तरतीब अप्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से मिल्लत कर असल अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की गर्ज से यह झूठा वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें कोई सार नही है। सारहीन होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया एवं प्रार्थी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की। अप्रार्थी संख्या 2,3,4,5 व 10 के वकील श्री चन्द्र मोहन शर्मा ने निम्न नजीरें पेश की है।

आरएलटी 2018 पेज 245

आरआरडी 1988 पेज 279

आरएलआर 1999 (I) पेज 560

आरआरडी 1988 पेज 170

आरआरडी 1989 पेज 111

एवं अप्रार्थी संख्या 6,7,8,9 व 11 के वकील श्री सुरेन्द्र कुमार माथुर ने निम्न नजीरें पेश की है।

आरआरटी 2018 पेज 283

आरआरडी 2015 पेज 677

आरआरडी 1984 पेज 712

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

आरआरडी 1988 पेज 79

आरआरडी 1966 पेज 219

एआईआर सर्वोच्य न्यायालय 1968 पेज 1488

आरआरडी 1988 पेज 641

साईटेसन 2019(।) (सीजे)(सीआईवी) पेज 249

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (स्थाई निष्क्रान्त कृषि भूमि आवंटन) नियम 1963 पेश किये है।

वादी/प्रार्थी ने अपने वाद के समर्थन में निम्न दस्तावेजात पेश किये है:–

फोटोकापी जमाबन्दी सम्वत 2035, 2039

फोटोकापी बयनामा सत्तूसिंह बहक चिम्मन, गुल्या वगै० दिनांक 23.08.1984

फोटोकापी नामान्तरण संख्या 351, 334, 335

फोटोकापी सैटलमेन्ट सम्वत 2051 व मिलान क्षेत्रफल 2051

जमाबन्दी फोटोकापी 2054, 2058, 2070 से 2073

बटवारानामा दिनांक 6.10.2015

नामान्तकरण संख्या 496 व 506

प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण ने अपने वाद के समर्थन में निम्न दस्तावेजात पेश किये है:–

फोटोकापी बयनामा दिनांक 27.8.1984 सत्तूसिंह बहक चिम्मन, गुल्याराम, लालाराम, हरिराम

फोटोकापी बयनामा दिनांक 7.4.2000 श्रीमति जानकी देवी बहक भूरू

फोटोकापी बयनामा दिनांक 10.3.2000 सन्तोष कुमार बहक भूरू

फोटोकापी बयनामा दिनांक 1.6.2000 प्रवीण कुमार बहक भूरू

फोटोकापी बयनामा दिनांक 14.7.2005 सन्तोष कुमार, जानकी देवी व प्रवीण कुमार बहक नारायण लाल सैनी

फोटोकापी बयनामा दिनांक 14.7.2005 सन्तोष कुमार, जानकी देवी व प्रवीण कुमार बहक हेमलता

फोटोकापी बयनामा दिनांक 14.7.2005 सन्तोष कुमार, जानकी देवी व प्रवीण कुमार बहक राजेन्द्र कुमार

फोटोकापी बयनामा दिनांक 29.6.2005 सन्तोष कुमार, जानकी देवी व प्रवीण कुमार बहक जीतेन्द्र

फोटोकापी बयनामा दिनांक 10.5.2006 सन्तोष कुमार, बहक जीतेन्द्र

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र निस्तारण के लिए इन्ग्रीडियेंश 01–प्रथम दृष्टया केस 02– सुविधा का सन्तुलन 03– अपूर्णिय क्षति का हवाला देकर अपनी अपनी बहस में अपने अपने पक्ष में प्रार्थना पत्र फैसल करने का निवेदन किया है।

**01–प्रथम दृष्टया केस :** प्रार्थी के वकील ने वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बरान को पैतृक आराजी बतलाया है। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व तरतीबी अप्रार्थीगण का उक्त आराजी में जन्म से ही हक निहित होने का निवेदन किया है। साबिक आराजी खसरा नम्बर 465/723 व 473 का पट्टा तहसील अलवर से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्राप्त किया गया है उसे भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा गलत तरीके से जारी करना बतलाया है एवं पट्टे के आधार पर इंतकाल संख्या 434 गलत दर्ज हुआ है। अन्य आराजीयात के साथ उक्त खसरा नम्बर का बेचना अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 5 को दिनांक 27.8.1984 को किया है। अप्राथी संख्या 1 को उक्त आराजीयात का बेचना करने का कोई अधिकार नही था। समस्त बेची गई आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 16 लगा० 28 का हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त आराजी का बेचान करने का कोई अधिकार नही है। जो बेचान किया गया है वो गलत है। अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 11 को वादग्रस्त आराजी पर दिनांक 28.7.2016 व 5.5. 2016 को जारी एक पक्षीय निषेधाज्ञा पत्रावली पर पेशकर्दा दस्तावेजात का हवाला देते हुए व पेशकर्दा नजीरों का हवाला देते हुए ताफैसला वाद (Absolute) किये जाने की प्रार्थना की। जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 10 व 11 लगा० 15 के अधिवक्तगणों ने अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखते हुए निवेदन किया की वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी नही है। साबिक खसरा नम्बर 465/723 व 473 जिसके हाल खसरा नम्बर 329, व 335 बने है का पट्टा तहसील अलवर से अप्रार्थी संख्या 1 सत्तू सिंह के पक्ष में मु० पट्टा नम्बर 35/Reh/84/16/887 दिनांक 14.08.1984 तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर अलवर द्वारा जारी किया गया। जिस पट्टे के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में इंतकाल संख्या 434 दर्ज हुआ एवं जमाबन्दी में अप्रार्थी संख्या सत्तू सिंह के नाम खातेदारी दर्ज की गई। खातेदारी होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 5 के पक्ष में बयनामा दिनांक 27.8.1984 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 380 पृष्ट संख्या 213 के क्रम संख्या 1352 पर पंजीबद्ध उप पंजीयक कार्यालय में किया गया। इस बयनामे के आधार पर खरीदार अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 5 के हक में इंतकाल दर्ज होकर जमाबन्दी में इन्द्राज हुए। इस आराजी के साथ अन्य आराजीयात का भी बेचान किया गया था। अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 15 ने अपनी खरीदशुदा आराजी को आपसी सहमति से तहसील अलवर में बटवारा कर लिया जिस बटवारे के

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

आधार पर इंतकाल संख्या 496 व 506 अप्रार्थीगण के पक्ष में दर्ज कर मंजूर हुए ; एवं सन्तोष कुमार, जानकी देवी व प्रवीण कुमार ने अपने हिस्से की आराजी को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा भूरू पुत्र हरबक्स को बेचान कर दिया। जिनके इंतकाल भूरू के पक्ष में इंतकाल संख्या 49, 50 व 51 स्वीकार होकर कागजात माल में अमल हो गया। इसी प्रकार सन्तोष कुमार, जानकी देवी व प्रवीण कुमार ने अपनी खरीदशुदा आराजी राजेन्द्र कुमार सैनी, जीतेन्द्र कुमार सैनी, हेमलता सैनी व नारायण लाल को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान किये है। जिनके इंतकाल स्वीकार होकर जमाबन्दी में खातेदारी हो चुकी है। खरीदारान बोनाफाईड परचेजर है एवं काश्तकार खातेदार है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व तरतीबी अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खरीदशुदा आराजी पर जबरन इस मुकदमें की आड में कब्जा करना चाहते है। वादी/प्रार्थी स्वच्छ हस्त से प्रार्थना पत्र लेकर नही आया है एवं प्रार्थी बदनियति से यह वाद एवं प्रार्थना पत्र लेकर आया है। प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात व नजीरों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 15 अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में सफल रहे है। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के विरूद्ध अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।

**02– सुविधा का सन्तुलन** : प्रार्थी साबिक खसरा नम्बर 465/723, 473 को अपनी पैतृक आराजी बताकर आया है। जिसके हाल खसरा नम्बर 329 व 335 बने है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त हाल खसरा नम्बर 329 व 335 का मु० पट्टा नम्बर 35/Reh/84/16/887 दिनांक 14.08.1984 तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर अलवर द्वारा जारी किया गया है। उक्त पट्टे के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 434 दर्ज हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने उक्त खातेदारी की आराजी को अप्रार्थी संख्या 2 लगा 5 को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 27.07.1984 को बेचान कर दिया जिसका इंतकाल अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 5 के पक्ष में स्वीकार हुआ है। खरीद के दिनांक से ही खरीदारान खरीदशुदा आराजी के खातेदार काश्तकार है। जिसका इंतकाल संख्या 435 खरीददारों के नाम दर्ज होकर स्वीकार हुआ है। उक्त आराजी अन्य आराजीयात के साथ अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 5 को बेचान की गई है एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 5 ने भी उक्त आराजीयात को सन्तोष कुमार, जानकी देवी व प्रवीण कुमार को बेचान कर दिया जिन्होने उक्त आराजी को राजेन्द्र कुमार, राजकुमार, जीतेन्द्र कुमार, हेमलता व नारायण लाल को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान किये है एवं बेचान के पश्चान इंतकाल दर्ज होकर कागजात माल में उनके नाम से खातेदारी दर्ज हो चुकी है। जिन्होने आपसी सहमति से तहसील अलवर में तहसीलदार अलवर से विधिक बटवारा भी करवा लिया है।

सहायक कलक्टर

जिस विधिक बटवारे के आधार पर इंतकाल संख्या 496 व 506 दर्ज हुए है एवं खरीददारों के पक्ष में कागजात माल में अमल हुआ है। प्रार्थी शुद्ध हस्त से यह प्रार्थना पत्र लेकर नही आया है। यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी के बदयान्ति पर आधारित है। उक्त आराजी पैतृक आराजी नही है। उक्त मुकदमें की आड में प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार खरीदशुदा आराजी पर जबरन लाठी के बल पर जबरन कब्जा करना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 1 सत्तूसिंह ने हाल आराजी खसरा नम्बर 329 व 335 का पट्टा तहसील अलवर से अपने नाम जारी करवाया है। तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर अलवर के द्वारा जारी पट्टे व आदेश के विरूद्ध अपील न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर के यहां की जानी चाहिए थी जो नही की गई है। पट्टे को निरस्त करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान् को नही है एवं पट्टे के आधार पर दर्ज इंतकाल की अपील भी किसी भी सक्षम न्यायालय में नही की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बेचान की गई आराजीयात के विरूद्ध किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गई है एवं पट्टे के आधार पर व बयनामा के आधार पर दर्ज इंतकाल की अपील सक्षम न्यायालय में नही की गई है। अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 15 ने आपसी सहमति से विधिक बटवारा तहसील अलवर में करा लिया है। बटवारे के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 15 के पक्ष में इंतकाल दर्ज हुए है एवं जमाबन्दी में बटवारे के आधार पर खातेदारी कायम की जा चुकी है। वकील वादी द्वारा पेशकर्दा नजीरे उक्त प्रार्थना पत्र पर चस्पा नही होती है। वकील अप्रार्थी संख्या 02 लगा० 15 द्वारा पेशकर्दा नजीरे उक्त प्रकरण पर चस्पा होती है। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 15 के पक्ष में प्रतीत होता है। प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में असफल रहे है। अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 15 अपने पक्ष को साबित करने में सफल रहे है। सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 15 के पक्ष में पाया जाता है।

**03– अपूर्णिय क्षतिः** प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 329 व 335 कें साथ आराजी खसरा संख्या 344, 345, 336, 339, 340, 337, 338, 341, 331, 333/792 व 330, 332, 332/807, 333, वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर को पैतृक आराजी बताकर आया है। जबकि वास्तव में वादग्रस्त आराजी पैतृक नही है। हाल आराजी खसरा नम्बर 329 व 335 का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर अलवर द्वारा जारी किया गया है। जिस पट्टे के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में कागजात माल में खातेदारी का अंकन हुआ है। उक्त आराजी को अन्य आराजीयात के साथ अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 5 भारी प्रतिफल लेकर बेचान किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 5 लालाराम, हरिराम, चिम्मन लाल व गुल्याराम ने भी उक्त आराजी को सन्तोष

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

कुमार, जानकी देवी व प्रवीण कुमार को बेचान कर दिया है जिन्होने उक्त आराजी का बेचान भूरू, राजकुमार, राजेन्द्र कुमार, मूलचन्द, नारायण लाल हेमलता, जीतेन्द्र कुमार को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान कर दिया। जिस बेचाना के आधार पर खरीददारों के पक्ष में इंतकाल दर्ज हुए है। जिन्होने आपसी सहमति से तहसील अलवर में विधिक बटवारा कर लिया है। बटवारेनामे पर पटवारी हलका एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर ही बटवारानामा स्वीकार हुआ है एवं इस बटवारेनामे के आधार पर ही इंतकाल दर्ज हुए है। पटवारी हलका एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट से यह बात सिद्ध होती है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा नही है। अपूर्णिय क्षति प्रार्थी दिलीप सिंह को ना होकर अप्रार्थीगण लालाराम, हरिराम, चिम्मनलाल, गुल्याराम, राजेन्द्र कुमार, नारायण लाल, जीतेन्द्र कुमार, हेमलता, सन्तोष कुमार, भूरू, सन्तोषबाई, मूल चन्द, जानकी देवी व प्रवीण कुमार को होती है। अपूर्णिय क्षति को सिद्ध करने में प्रार्थी असफल रहा है एवं वास्तव में खरीददारों को यदि पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णिय क्षति होगी। इस कारण अप्रार्थीगण संख्या 2 लगा० 15 अपूर्णिय क्षति को साबित करने में सफल रहे है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 एवं आदेश 39 नियम 1–2 के बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलत व अपूर्णिय क्षति अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 15 के पक्ष में पाये जाने पर प्रार्थना पत्र संख्या 2/45 में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05.05.16 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 2/88 में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28.07.2016 को वैकेट कर खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः दोनो ही प्रार्थना पत्रों में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 27.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner